Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

सत्यमेव जयते

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 13 Date 6-6-2021

आज दिनांक 06.06.2021 को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से आहूत की गई जिसमें कार्यकारिणी के निम्नांकित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

1) श्री शशांक शेखर सिन्हा, अध्यक्ष, बासा ।

2) श्री अनिल कुमार, महासचिव, बासा ।

3) मो0 मोइजउद्दीन, उपाध्यक्ष, बासा ।

4) श्री सुनील कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष, बासा ।

5) श्री गोपाल शरण, संयुक्त सचिव, बासा ।

6) श्रीमती मोना झा, संयुक्त कोषाध्यक्ष, बासा ।

7) श्री अरूण कुमार सिंह, सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी, बासा ।

8) श्री जगदीश कुमार, सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी, बासा ।

9) श्री चित्रगुप्त कुमार, सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी, बासा ।

10) अन्य ।

(2) सर्वप्रथम संघ के कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के मई माह तक संघ के खाते के आय–व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया ।

(3) कोषाध्यक्ष द्वारा एक–एक कर सभी पाँच शीर्षों के आय–व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम भवन मद के लेखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त मद में 8.97 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है, जिसमें से अधिकतर व्यय संघ के कर्मियों के वेतन

भुगतान, साफ–सफाई एवं अन्य रख–रखाव मद में खर्च किया गया। 31.05.2021 को उक्त मद में 3.77 लाख रुपये अवशेष है।

(4) सांस्कृतिक मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रारंभिक शेष 1.11 लाख रुपये था। पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा बासा क्लब हेतु 5 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपलब्ध कराया गया था। उक्त राशि से संघ भवन उपरी तल्ले पर सोफा, बिलियर्ड्स बोर्ड, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस इत्यादि की व्यवस्था की गई। वर्तमान में सांस्कृतिक मद में लगभग 4.1 लाख रुपये अवशेष है। कोषाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उक्त राशि का व्यय क्लब में बुकशेल्फ, सदस्यों के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्था पर व्यय किया जाना है।

(5) विधिक मद में वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरंभिक राशि 70.88 हजार रुपया था जिसमें से 24,500/– रुपये का भुगतान अधिवक्ता को किया गया, शेष 48 हजार रुपये कोष में अवशेष है।

(6) सामान्य कोष में आय का मुख्य स्रोत संघ के सदस्यों द्वारा Mandate के माध्यम से प्रति माह 200 रुपया कटौती से जमा राशि है। केन्द्रीय कार्यकारिणी के पूर्व निर्णय के अनुसार उक्त राशि में से 40 प्रतिशत की राशि विधिक मद एवं 10 प्रतिशत की राशि सांस्कृतिक मद में खर्च की जाती है। उक्त मद में अभी तक 15 हजार रुपया की राशि All India Civil Service Federation के अतिरिक्त कोई राशि खर्च नहीं की गई है। वर्तमान में 5.28 लाख रुपये की राशि अवशेष है। कार्यकारिणी के निर्णय के आलोक में मई, 2021 तक सामान्य मद में प्राप्त कुल राशि में से 1,96,000/– रुपये की राशि विधिक मद एवं 54,000/– रुपये की राशि सांस्कृतिक मद में हस्तांतरण किया जाना है।

(7) कोषाध्यक्ष, बासा द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह Mandate के माध्यम से लगभग 18,000 से 19,000 रुपये की राशि संघ के कल्याण कोष के खाते में नियमित रूप से सदस्यों से प्राप्त होती है। उनके द्वारा बताया गया कि काफी कम संख्या में मात्र 187 सदस्यों का Mandate के माध्यम से कटौती होती है, जो चिन्ता का विषय है। कोषाध्यक्ष *द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 3,84,000/–* रुपये प्राप्त हुआ था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष का कुल व्यय 5.5 लाख रुपया था। कोषाध्यक्ष द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई कि संघ के सदस्यों द्वारा वार्षिक चंदा या आर्थिक सहयोग की राशि नियमित रूप से नहीं दी जाती है । अधिकांश सदस्यों में वित्तीय अनुशासन का घोर अभाव है । संघ के अधिकतर सदस्यों द्वारा किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या अन्य कारणों से आपात स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उचित नहीं है। यदि विगत तीन वर्षों के सहयोग का विश्लेषण किया जाय तो फरवरी 2020 में पूर्व मृत 4 सदस्यों के अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिए राशि उपलब्ध नहीं थी। स्वर्गीय शशांक कुमार की मृत्यु के पश्चात सदस्यों के बीच अभियान चलाने पर 21.13 लाख रुपये एवं वर्तमान कोविड–19 में अप्रील एवं मई में कोविड से कई सदस्यों की मृत्यु के पश्चात

लगभग 7 लाख रुपये सहयोग राशि प्राप्त हुआ है । यदि शेष अवधि में देखा जाय तो सदस्यों से प्रत्येक माह आर्थिक सहयोग के रूप में 20 हजार रुपये तक प्राप्त होते हैं, जो विचार करने योग्य है। उनके द्वारा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से Mandate देने हेतु अन्य सदस्यों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया। कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय लेखा को कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(8) अंत में कोषाध्यक्ष द्वारा संघ के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

(क) संघ द्वारा सदस्यों की मृत्यु के पश्चात दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि जो दिनांक 24.11.2019 के पूर्व में 1 लाख रुपये थी, जिसे नई केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की दर से बकाया सहित सभी सदस्यों का भुगतान लगातार किया जा रहा है। उक्त राशि काफी कम है इसे बढ़ाने का कार्यकारिणी से अनुरोध किया गया।

(ख) वर्तमान कोविड–19 एवं अन्य गंभीर बीमारी की स्थिति में सदस्यों को चिकित्सा पर बड़ी राशि व्यय करनी पड़ती है। कई सदस्यों की आर्थिक स्थिति इस बोझ को उठाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं । इसे देखते हुए चिकित्सा अनुदान के मद में 50,000 रुपये की दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

(ग) कोविड–19 के संक्रमण को देखते हुए 10 लीटर का 5 ऑक्सीजन सीलेण्डर, सभी उपकरणों के साथ पिछले माह बिहार इन्डस्ट्रीयल एसोसिएशन से क्रय किया गया एवं सदस्यों के आवश्यकता के लिए संघ भवन में रखा गया है। कोषाध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी से अनुरोध किया गया कि संघ के सदस्यों की मांग एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए 2 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर संघ के तरफ से क्रय कर संघ भवन में रखा जाय ताकि आपात स्थिति में सदस्यों की मदद की जा सके।

(9) कोषाध्यक्ष, बासा द्वारा धन्यवाद के पश्चात महासचिव एवं अध्यक्ष महोदय को इन सभी बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

(10) महासचिव महोदय द्वारा बजट के पश्चात दिऐ गए तीनों प्रस्तावों पर विचार–विमर्श हेतु सदस्यों को समय दिया गया। महासचिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कल्याण मद में दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की राशि काफी कम है। इसे 5 लाख रुपये किया जाय। उक्त प्रस्ताव पर श्री जगदीश कुमार, मो0 मोइजउद्दीन एवं श्री चित्रगुप्त कुमार द्वारा अपना विचार रखा गया। श्री जगदीश कुमार द्वारा वर्तमान में संघ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अनग्रह अनुदान की राशि 5 लाख रुपये किया जाना उचित नहीं है। चूँकि संघ के पास कम से कम 4 से 5 भुगतान हेतु अवशेष राशि हमेशा खाते में रहनी चाहिए। चूँकि अभी Mandate देने वाले सदस्यों की संख्या काफी कम है जिसके कारण संघ को

नियमित आय नहीं हो पा रही है। अतः जब संघ के सदस्यों से नियमित आय उक्त अनुकूल होगी तो अनुग्रह अनुदान मद में भुगतान ज्यादा किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाना तर्कसंगत होगा। श्री चित्रगुप्त कुमार एवं मो0 मोइजउद्दीन, उपाध्यक्ष, बासा द्वारा भी अपना पक्ष रखते हुए 2.5 लाख रुपये की राशि दिए जाने हेतु समर्थन किया गया। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह निर्णय दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी होगा।

(11) महासचिव महोदय द्वारा बताया गया कि नई कार्यकारिणी के गठन के पश्चात दिनांक 24.11.2019 के बाद संघ के सदस्यों (सेवा में कार्यरत) को विशेष परिस्थिति में चिकित्सा हेतु 50,000 रुपये चिकित्सा अनुदान में दी जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी तक कुल 7 (3.5 लाख रुपया) सदस्यों को इससे लाभान्वित भी किया गया है। इस योजना को पहली बार लागू किए जाने के बाद महसूस किया गया कि चिकित्सा व्यय में खर्च की गई राशि विपत्र प्रस्तुत किए जाने पर सरकार द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद से पदाधिकारियों को भुगतान कर दिया जाता है। साथ ही चिकित्सा अनुदान की राशि सभी सदस्यों को नहीं देकर मांग आधारित कुछ ही सदस्यों को दी जाती है। संघ के अन्य सदस्यों द्वारा इस पर भविष्य में आपत्ति भी की जा सकती है तथा इसका दुरूपयोग भी होने की संभावना है। अतः उनके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि चिकित्सा अनुदान की राशि 50,000 रुपये से बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी जाय एवं यह राशि सदस्यों को अस्थायी अग्रिम के रूप में दी जाएगी। जब सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि का भुगतान हो जाय तो उक्त राशि सदस्यों को लौटाने की बाध्यता होगी। इस अग्रिम के बदले संघ द्वारा कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। उक्त प्रस्ताव पर श्री जगदीश कुमार ने अपना विचार व्यक्त करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की तथा उक्त राशि अस्थायी अग्रिम दिए जाने को भी सही ठहराया गया। परन्तु उनके द्वारा इसमें अपवाद स्वरूप एक शर्त रखने का प्रस्ताव दिया गया। जिसके अनुसार संघ के वैसे सदस्य जो निलंबित हैं या किसी परिस्थितिवश उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या संघ के वैसे सदस्य जिनका इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाय या जिनको प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं हो, ऐसे सदस्य जो चिकित्सा अनुदान की राशि लौटाने में पूर्ण रूप से अक्षम्य हैं, उन्हे इससे कुछ छूट मिलनी चाहिए। उनके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि यदि कोई सदस्य चिकित्सा अनुदान की राशि वापस करने में सक्षम नहीं है तो इस संबंध में केन्द्रीय कार्यकारिणी उक्त राशि को माफ करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगा। इसी क्रम में सदस्य श्री चित्रगुप्त कुमार द्वारा राशि को बढ़ा कर 2 लाख रुपया तक किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। उपस्थित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा सहमति बनी कि वर्तमान में चिकित्सा अनुदान अग्रिम के रूप में 1 लाख रुपये तक (सेवारत सदस्यों को) दी जाय । जैसे–जैसे संघ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी 3 महीने के पश्चात इसकी समीक्षा कर राशि बढ़ा कर 2 लाख रुपये किए जाने पर विचार किया जाएगा।

(12) केन्द्रीय कार्यकारिणी में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर एवं बासा क्लब हेतु अन्य उपकरणों के खरीद पर अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने स्तर से निर्णय करने हेतु स्वतंत्रता दी गई।

(13) कार्यकारिणी के सदस्य श्री जगदीश कुमार द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि संघ के सेवारत सदस्य जिनकी आकस्मिक या कोविड–19 से मृत्यु हो गई हो उनके लिए संघ कार्यालय में एक स्मारक का निर्माण कराया जाय। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया।

(14) अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया गया कि नई कार्यकारिणी द्वारा कल्याण मद में कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं एवं कोरोना काल में संघ के सभी सदस्यों द्वारा एक–दूसरे के सहयोग, आपसी भाईचारा एवं एक दूसरे की मदद करने में आशा से अधिक सक्रियता दिखाई गई है जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यकारिणी द्वारा यह महसूस किया गया कि संघ की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो तो भविष्य में अनुग्रह अनुदान की राशि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तथा चिकित्सा इलाज में अस्थायी अग्रिम की राशि 1 लाख से बढ़ा कर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है। संघ को मजबूती प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए निरंतर प्रयास एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अतः इसके लिए Mandate से वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराने के लिए विशेष अभियान 01.07. 2021 से प्रारम्भ किया जाएगा। इस क्रम में सभी जिला यूनिट के साथ प्रत्येक रविवार को वर्चुअल संवाद स्थापित करने हेतु बैठक भी की जाएगी ।

अंत में सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–

(अनिल कुमार)

ज्ञापांकः–13/ पटना, दिनांक–06-06-2021

प्रतिलिपिः– सभी अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई/सभी सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, बिहार एडमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । बासा बेवसाईट पर प्रकाशित ।

ह०/–

(अनिल कुमार)

ज्ञापांकः–13/ पटना, दिनांक–06-06-2021

प्रतिलिपिः– निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन, मद्य उत्पाद एवं निषेध विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/6/21

(अनिल कुमार)